न्यायालय अपील अधिकारण (जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– हिमांशु गुप्ता, आई.ए.एस.

भरण पोषण अपील संख्या : 06 / 2022

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
1– दुर्गाराम पुत्र चोलाराम 2– श्रीमती छोटीदेवी पत्नी दुर्गाराम जाति माली निवासीगण पालासनी तहसील व जिला जोधपुर।		1– कानाराम पुत्र दुर्गाराम जाति माली निवासी पालासनी हाल पता मैनेजर, युको बैंक मथानीयां तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 16, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.02.2022 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर दक्षिण द्वारा प्रकरण सं0 08 / 2022 में पारित किया गया।

उपस्थितिः–
1– अपीलार्थीगण स्वयं।
2– प्रत्यर्थीपक्ष स्वयं।

आदेश दिनांक 18.07.2022

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी / प्रार्थीगण दुर्गाराम व अन्य ने उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दक्षिण) के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 बाबत् भरण पोषण दिलाने व मकान से बेदखल नहीं करने का पेश किया गया, जिस पर उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दक्षिण) ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अपीलार्थी / प्रार्थीगण प्रत्येक को प्रतिमाह 4000 / – 4000 / – कुल 8000 / – रूपये भरण पोषण के रूप में अपीलाधीन आदेश दिया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर (06 / 2022) कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी कर अधीनस्थ अधिकरण का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधीनस्थ अधिकरण से

लगातार....

मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। उपस्थित उभयपक्षकारान की ओर से दिनांक 11.07.2022 को बहस सुनी गई।

अपीलार्थी की ओर से से बहस में बतलाया कि वो वरिष्ठ नागरिक है जो कमाने में असमर्थ होने से गुजाा भता स्वयं नहीं कर सकते है। अपीलार्थीगण के दो पुत्र है जिसमें एक विकलांग है तथा दूसरा पुत्र (प्रत्यर्थी कानाराम) बैंक में मैनेजर है तथा प्रत्यर्थी कानाराम की मासिक आय 1,20,000/– रूपये है। बहस में यह भी बतलाया कि उपस्थित कानाराम गांव आकर लड़ाई झगड़ा करता है तथा गावं में बने मकान से बेदखल करना चाहता है। कभी कभी मारपीट पर उतारू हो जाता है तथा मारने की धमकियां देता है। बहस के अन्त में कहा कि अधीनस्थ अधिकरण में भरण पोषण के रूप में 4000/– 4000/– रूपये देने के आदेश दिये गये, जो मंहगाई के रूप में दवाई पर ही खर्च हो जाते है अतः प्रत्येक को 15000/– रूपये दिलाये जाने के आदेश दिया जाय।

प्रत्यर्थीपक्ष ने बहस में बतलाया कि वो जोधपुर में परिवार सहित निवास करता है तथा गाव में नहीं रहता है तथा बैंक में नौकरी करता है। बहस में यह भी कहा कि अपीलार्थी के खातेदारी की करीब 24 बीघा भूमि है उससे आय होती है, स्वयं काम पर जाते है, इन्हें वृद्धावस्था पेशंन मिल रही है। बहस आगे कहा कि गांव में जो मकान बना हुआ है तथा अपीलार्थीगण निवास कर रहे है वो उसने ऋण लेकर बनाया जिसकी मासिक किश्त वो अदा कर रहा है तथा उपखण्ड अधिकारी जोधपुर ने भरण पोषण राशि देने का आदेश दिया गया, उस अनुसार अपीलार्थीगण को अदा भी कर है। अतः अपने बच्चों का भरण पोषण व शिक्षा में भी खर्च करना पड़ रहा है। बहस में यह भी कहा कि प्रार्थीगण किसी के सिखावे आकर यह कार्यवाही कर रहे है। अन्त में अपील निरस्त करने की इस्तदुआ की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अधिकरण से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों से अध्ययन करने पर पाया गया कि अपीलार्थी के नाम ग्राम पालासनी में करीब 24 बीघा भूमि आई हुई है, अपीलार्थीपक्ष द्वारा गृह निर्माण ऋण लिया गया उसमें प्रत्यर्थीपक्ष की गारंटी दी हुई तथा प्रतिमाह किश्त के रूप में प्रत्यर्थीपक्ष द्वारा ऋण राशि का भुगतान किया जा रहा है। भरण पोषण के रूप में अपीलार्थीगण 4000/– 4000/– रूपये प्राप्त कर रहे है। अतः अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, वो हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अपीलार्थी ने भरण पोषण राशि बढाने के साथ साथ अपीलार्थीगण के साथ मारपीट नहीं करने, मकान से बेदखल नहीं करने की भी इस्तदुआ की गई अतः प्रत्यर्थीपक्ष को अपीलार्थी के साथ किसी प्रकार से मारपीट व लड़ाई झगड़ा न करने तथा अपीलार्थी के स्वामित्व वाले उक्त मकान में रहने की किसी प्रकार की बाधा व बेदखल नहीं करने बाबत् प्रत्यर्थीपक्ष को पाबन्द किया जता है तथा थानाधिकारी डांगियावास, जोधपुर महानगर को भी निर्देशित किया जाता है कि वो किसी सामाजिक कार्यकर्ता या स्वयं सेवक के साथ अपीलार्थी (वरिष्ठ

नागरिक) से भेंट करते रहे एवं उनकी परिवादों/समस्याओं पर ध्यान देकर आवश्यक कार्यवाही भी करे।उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति मय मूल अभिलेख अधीनस्थ अधिकरण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। आदेश की प्रति थानाधिकारी डांगियावास को पालनार्थ प्रेषित हो।